छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 661/2007

श्री राकेश चौबे,
मकान नं. 10/226,
फौव्वारा चौक, सत्ती बाजार,
रायपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
कार्यालय पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएँ,
अनुपम नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 16 जनवरी 2008)

श्री राकेश चौबे ने पंजीयक, फर्म एवं संस्थाऐं के द्वारा प्रथम अपील में पारित किए गए आदेश दिनांक 25–06–2007 से असंतुष्ट होकर द्वितीय अपील आयोग के समक्ष प्रस्तुत की।

2/ अपीलार्थी ने आवेदन पत्र दिनांक 08–03–2007 के द्वारा जन सूचना अधिकारी, सहायक पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तथा छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीकरण अधिनियम की धारा 30 एवं 31 के अंतर्गत बाल आश्रम समिति, कचहरी चौक, रायपुर से 12 बिन्दुओं पर जानकारी बुलाकर देने के लिए आवेदन दिया। जन सूचना अधिकारी के द्वारा बाल आश्रम समिति, कचहरी चौक, रायपुर के द्वारा प्राप्त जानकारी अपीलार्थी को दी गई, जिसमें कि प्रबंधक, बाल आश्रम समिति के द्वारा उल्लेख किया गया कि बाल आश्रम समिति को भंग कर प्रशासक की नियुक्ति की गई है। प्रशासक के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत बाल आश्रम समिति, कचहरी चौक, रायपुर आती है अथवा नहीं इस संबंध में शासन से मार्गदर्शन माँगा गया। साथ ही एक याचिका मान. उच्च न्यायालय में भी प्रस्तुत की गई है, जिसमें कि मुख्य सूचना आयुक्त का आदेश स्थगित किया गया है। यह जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने प्रथम अपील रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाऐं, छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अपीलीय अधिकारी के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–2(ज) एवं 29, 30 एवं 31 सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973 पर विचार करने के पश्चात् अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की।

3/ मेरे द्वारा अपीलार्थी एंव प्रतिअपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्कों पर विचार किया गया तथा दोनों पक्षों को सुना गया। अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी को बाल आश्रम समिति, रायपुर से जानकारी बुलाकर देना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग के द्वारा पारित आदेश का उल्लेख किया, जिसमें कि यह मत व्यक्त किया गया है कि अधिनियम की धारा–2 के अंतर्गत लोक प्राधिकारी को यदि किसी अधिनियम के अंतर्गत प्राईवेट संस्था का रिकार्ड बुलाने का अधिकार है तो सूचना के अधिकार के अंतर्गत उसे बुलाया जाकर आवेदक को दिया जाना चाहिए। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी का तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ सोसायटी पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत

उसी रिकार्ड को बुलाया जा सकता है जिसे कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी के द्वारा रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, किसी अन्य अभिलेख को नहीं बुलाया जा सकता, इसी आधार पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अपील निरस्त की।

4/ सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा–2(ज) के अंतर्गत लोक प्राधिकारी की परिभाषा दी गई है जिसके कि अंतर्गत ऐसे गैर–सरकारी संगठन जो कि समुचित सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है, लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आयेंगे। बाल आश्रम समिति को शासन के द्वारा अनुदान मिलने अथवा वित्त पोषण के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः उक्त समिति को लोक प्राधिकारी नहीं माना जा सकता।

5/ जहां तक पंजीयन अधिनियम की धारा 30 एवं 31 का संबंध है, उसके अंतर्गत भी केवल वही अभिलेख पंजीयक सहकारी संस्थाओं को समिति से बुलाये जाने का अधिकार है, जिन्हें कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी के द्वारा पंजीयक को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी के द्वारा बाल आश्रम समिति के द्वारा मेडिकल काम्पलेक्स का आबंटन किन शर्तों पर किया गया। रूपचंद श्री श्रीमाल के द्वारा निवासित भवन बाल आश्रम का है, उसके अनुबंध की प्रति प्रदान की जावे। बाल आश्रम के मुख्य द्वार पर स्थित संतोष होटल के अनुबंध की प्रति रायपुर हास्पीटल एवं बाल आश्रम के बीच हुये अनुबंध की प्रति, राजीव गांधी काम्लेक्स में स्थित फ्लेटों के संबंध में शर्तों की प्रति ग्राम सेवा समिति को आबंटित दुकान के अनुबंध की प्रति, बाल आश्रम समिति एवं राष्ट्रीय विद्यालय समिति द्वारा संचालित विद्यालय/महाविद्यालय के भवन के किराये के अनुबंध की प्रति, भारतीय स्टेट बैंक भवन के किराये के अनुबंध की प्रति, श्रमायुक्त के कार्यालय हेतु किराये पर दिये गये भवन के अनुबंध की प्रति आदि की जानकारी चाही थी। सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत धारा–27 एवं 28 में सोसायटी के द्वारा वार्षिक सूची, संपरीक्षा तथा निरीक्षण के प्रतिवेदन पंजीयक को दिया जाना आवश्यक है। धारा–29 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित फीस देकर रजिस्ट्रार के पास फाईल किए गए समस्त दस्तोवजों या उनमें से किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा प्रमाणित प्रतिलिपि भी प्राप्त कर सकेगा। धारा–31 के अंतर्गत रजिस्ट्रार ऐसे दस्तावेज को बुला सकता है जिसे कि अधिनियम के अंतर्गत सोसायटी को रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक है। ऐसे दस्तावेज जिसका कि किसी सोसायटी द्वारा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हो, परिशीलन करने पर रजिस्ट्रार की राय हो कि कोई जानकारी या स्पष्टीकरण आवश्यक है जिससे कि ऐसे दस्तावेज जिसमें कि उस विषय से संबंधित प्रविष्टियाँ हो उस दस्तावेज को रजिस्ट्रार के द्वारा सोसायटी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है। अपीलार्थी के द्वारा जो दस्तावेज चाहे गये हैं, वे दस्तावेज सोसायटी के द्वारा अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किये जाने वाले अधिनियम में नहीं आते हैं। अतः रजिस्ट्रार के द्वारा संबंधित सोसायटी से ऐसी जानकारी मंगाकर दिया जाना विधिसंगत नहीं प्रतीत होता। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत एवं न्यायसंगत है। उसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

6/ अतः अपीलार्थी की यह अपील अस्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त